छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक RULE/81/2026-GAD-3 नवा रायपुर, दिनांक 09-06-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत),
छत्तीसगढ़।

विषयः- **सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान-वेतनमान में समाहित करने बाबत्।**

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान-वेतनमान में समाहित करने बाबत् विचार-विमर्श हेतु सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.03.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

1. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शिक्षक संवर्ग को द्वितीय क्रमोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 10-1/2006/1-3, दिनांक 24.04.2006 समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.03.2017 एवं 06.11.2025, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को द्वितीय क्रमोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2008/1-3, दिनांक 23.04.2008 एवं क्र. एफ 1-56/2017/35 दिनांक 16.8.2019, निर्माण विभागों/अन्य विभागों के उपअभियंताओं को चार स्तरीय क्रमोन्न्ति वेतनमान के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक 1436/348/2008/1-3, दिनांक 31.07.2008 तथा वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिए चार स्तरीय क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11-2/2008/1-3, दिनांक 22.08.2008 की प्रभावशीलता **दिनांक 31.03.2026 के पश्चात् समाप्त समझी जाए।**

chaturpost.com

2. दिनांक 01 अप्रैल, 2026 या इसके पश्चात् नियुक्त समस्त संवर्ग के शासकीय सेवकों को वित्त विभाग के अंतर्गत समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।

3. दिनांक 31.03.2026 तक नियुक्त शासकीय सेवक को क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान जो भी लाभप्रद हो, किसी एक योजना का चयन करने का विकल्प होगा।

4. शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत विकल्प अंतिम व अपरिवंतनीय होगी। संबंधित शासकीय सेवक को भविष्य में पात्रतानुसार उच्चतर वेतनमान का लाभ शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर देय होगा।

5. शासकीय सेवक द्वारा विकल्प का चयन, आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यदि समयावधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि संबंधित शासकीय सेवक द्वारा क्रमोन्नति योजना में बने रहना चाहता है और **निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा।**

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक से प्राप्त विकल्प को सत्यापित कर संबंधित के सेवा अभिलेख में दर्ज व चस्पा किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के समयमान वेतनमान के संबंध में जारी वित्त निर्देश दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के परिशिष्ट-1 के अनुरूप संलग्न परिशिष्ट-2 में समयमान वेतनमान के संबंध में जिन विभागों के पदों का समावेश नहीं है, उन विभागों द्वारा वित्त विभाग के समयमान-वेतनमान योजना में शामिल करने हेतु प्रशासकीय विभागों से सुसंगत प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाएं।

2/ उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक 204462, दिनांक 08.06.2026 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है।

3/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
RAJAT KUMAR
Date: 09-06-2026
13:55:49

(रजत कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक RULE/81/2026-GAD-3 नवा रायपुर, दिनांक 09-06-2026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. राज्यपाल के सचिव, लोक भवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर